बी0ए0– प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) नई शिक्षा नीति– 2020 के पाठ्यक्रमानुसार
विषय – राजनीति विज्ञान
पाठ्यक्रम का शीर्षक – ''भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारत का संविधान''

इकाई– 1 एवं 2 ''समग्र राष्ट्रवाद''

1. डॉ0 पुरुषोत्तम नागर – ''भारतीय चिन्तकों को मानववादी रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा मार्क्सवाद के प्रभाव के अन्तर्गत मानवेन्द्रनाथ राय राष्ट्रवाद के आलोचक रहे हैं। ठाकुर ने भारत की जाति–प्रथा तथा सामाजिक संकीर्णता के आधार पर राष्ट्रवाद के प्रसार को असम्भव बताया है। जबकि मानवेन्द्र राय राष्ट्रवाद को मार्क्सवादी श्रमिकों तथा सर्वहारा के अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व के मार्ग में रुकावट मानते हैं। दोनों ही विचारक यथार्थ से दूर रहे हैं। इनके विपरीत प्रायः समस्त आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक विचारकों ने राष्ट्रवाद के महत्व को अंशाधिक रुपेण स्वीकार करते हुए उसे स्वराज्य प्राप्ति का एक मात्र साधन माना है।''

2. स्वामी विवेकानन्द, विपिन चन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष के राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक स्वरुप दिया।

3. रविन्द्रनाथ टैगोर भारत को राष्ट्र–रहित देश मानते थे, क्योंकि भारत विभिन्न प्रजातियों का देश था, जिसमें समन्वय नहीं था।

4. मानवेन्द्र नाथ राय का विचार था कि राष्ट्रवाद भावुकता पर आधारित होता है।

5. विनायक दामोदर सावरकर हिन्दुओं की सांस्कृतिक महत्ता को स्वीकार करते हुए राष्ट्र को पूर्ण एकता का प्रतीक मानते थे।

6. विनायक दामोदर के अनुसार– राष्ट्रवाद के तीन लक्षणः– 1. हिन्दू राष्ट्र की एकता, 2. रक्त सम्बन्ध, 3. गौरवपूर्ण संस्कृति

7. ई0 एच0 कार के अनुसार – ''राष्ट्रवाद में जैसे मानव समूह का बोध होता है।

8. दयानन्द सरस्वती प्रथम भारतीय विचारक थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया।

9. दयानन्द सरस्वती की पुस्तक– सत्यार्थ प्रकाश

10. दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार प्रदान किया।

11. महादेव गोविन्द रानार्ड ने राष्ट्रवाद को प्रान्तीयता से प्रारम्भ करके भारतीय राष्ट्रवाद तक पहुँचा दिया।

12. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक **‘A Nation in Making’** में भारतीय राष्ट्रवाद पर चिन्तन किया।

13. गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रवाद पर प्रायः मौन ही रहे।

14. पुरुषोत्तम नागर– ‘‘उदारवादी विचारक अंग्रेजी शासन को ईश्वरीय वरदान मानते थे। अतः वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करने में संकोच करते थे।

15. उग्रवादियों ने यथार्थ में राष्ट्रवाद की विचारधारा को सशक्त किया।

16. लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में शिवजी तथा गणेश उत्सव का प्रारम्भ कर राष्ट्रवाद को धार्मिक आधार प्रदान किया।

17. विपिन चन्द्र पाल ने– **‘Indian Nationalism’** तथा **‘Nationality and Empager’** में राष्ट्रवाद की विवेचना की।

18. लाला लाजपत रॉय राष्ट्र को राज्य से अधिक महत्व प्रदान करते हैं।

19. सर सैय्यद अहमद खाँ, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अलीजिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्रवाद को विकसित किया।

20. मुस्लिम राष्ट्रीयता के लिए पृथक राष्ट्र की माँग की, अंततः मुस्लिम राष्ट्रवाद ने पाकिस्तान का निर्माण किया।

21. भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम चरण में इसकी प्रवृत्ति धार्मिक/सामाजिक पुर्नजागरण से सम्बन्धित रही।

22.आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉ0 राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन आदि राष्ट्रवाद के आर्थिक एवं सामजिक पक्ष के विचारक थे।

23.आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का प्रभुत्व प्रेरक तत्व अंग्रेजी शासन की भारत में स्थापना रही।

24.गांधी राष्ट्रवाद को मानवीय भावनाओं के आधार पर विभिन्न मतभेदों के साथ एक नैतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर थे।

25.ई0 एच0 कार का मत है, ''सही अर्थों में राष्ट्रों का उदय मध्ययुग की समाप्ति पर ही हुआ।''

26.इंग्लैण्ड में राष्ट्रवाद का जन्म अनेक देशों के पहले हुआ।

27.ए0 आर0 देसाई– ''किरन देश ने कौन–सा रास्ता अपनाया, यह उस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, राजनीतिक और आर्थिक संरचना के अज्ञीतकालीन अवेशेष और उन देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन की अगुवाई करने वाले वर्गों की विशिष्ट भावधारा द्वार निश्चित हुआ। प्रत्येक शब्द का जन्म और विकास अपने आप में अद्वितीय रहा है।''

28.सत्रहवीं, अठारवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में विश्व के अधिकाधिक क्षेत्रों में राष्ट्रों का निर्माण हुआ।

29.राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द आदि कर्मयोगियों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता धर्म एवं परम्पराओं का पुनः ससम्मान प्रतिष्ठित कर भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया।

30.ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रुप में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं ने आन्दोलन चलाए, जो भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने में सफल हुए।

31.पुरुषोत्तम नागर– ''भारत में मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के पृथक राजा की

माँग को निट के विचारों के अनुरुप प्रस्तुत किया, तो डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने लार्ड एक्टन के विचारों के अनुरुप बहुराष्ट्रीय राज्य की स्थापना की बात कही। इकबान ने रैनान की दुहाई देकर मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की माँग प्रस्तुत की, जबकि राजेन्द्र प्रसाद ने मैकार्टिनी, फ्रीडमेन तथा कोर्बेन के विचारों को प्रस्तुत कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को बहुराष्ट्रीय राज्य के अन्तर्गत सुरक्षा का अधिकार देने का विचार प्रस्तुत किया।''

32. डॉ0 बी0 पी0 वर्मा, ''उन्नीसवी शताब्दी में भागवत पुराण के आधार पर 'प्रेमसागर' की रचना करने वाले लल्लूलाल 'नासिकेतोपोख्यान' के रचयिता सदल मिश्र, मुंशी सदासजलाल, राजा शिवप्रसाद (1832–95), भारतेन्द्र हरीशचन्द (1850–85), स्वामी दयानन्द सरस्वती, जिन्होंने हिन्दी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा तथा अन्य अनेक ऐसे लेखक हुए, जिन्होंने हिन्दी ग़द्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरीश चन्द ने अपनी अनेक रचनाओं में भारत–दुर्दशा का चित्रण किया।

33. सन् 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद तथा स्वतन्त्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी।

34. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के चरण :–

प्रथम चरण–	सत्र 1885 तक राजा राममोहन राय व उनके समकालीन।
द्वितीय चरण–	सन् 1885–1905 कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व 'उदारवादी'
तृतीय चरण–	सन् 1905–1918 अतिवादी
चतुर्थ चरण–	सन् 1918–1934
पंचम चरण7	सन् 1934–1939

35. सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में **'Forward block'** का जन्म हुआ।

36. के. दामोदर– ''उदारवादी नेताओं ने किसी जन आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं दिया। कुछ तो अपनी सीमाओं से अधिक उदार हो गये, ब्रिटिश अधिकारियों के अनुचित कार्यो को भी अनुचित नहीं बताया।''

37. दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले 'उदारवादी'

38. लाल, बाल, पाल ने अभिनव राष्ट्रवाद का नारा दिया तथा शक्ति के बल से साम्राज्य लेने की प्रतिज्ञा की।

39. 1985 में स्वदेश आन्दोलन चलाया।

40. 1930–34 – नागरिक अवज्ञा आन्दोलन

41. गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रवाद का श्रीगणेश किया।

42. स्वामी विवेकानन्द आन्तरिक व बाह्य दोनों प्रकार की स्वतन्त्रताओं के पक्षधर थे।

43. 1881 में 'केसरी' और 'मराठा' इन समाचार पत्रों की स्थापना हुई।

44. 1893 में उन्होंने 'गणपति उत्सव' का प्रारम्भ किया।

इकाई– 3 ''मूल अधिकार, मूल कर्त्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व''

मूल अधिकार :–

भारतीय नागरिकों को भातीय संविधान के द्वारा प्रारम्भ में 07 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गये थे।

1. 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया।

2. वर्तमान समय में, भारत के नागरिकों को संविधान के भाग–III के द्वारा 06 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

3. समानता का अधिकार– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14–18 में वर्णित है।

4. अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों को 'विधि के समक्ष समानता' प्राप्त है।

5. विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है।

6. विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान रुप से कानून बनाएगा तथा लागू करेगा।

7. अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य स्त्रियों व बच्चों के कल्याण हेतु विशेष उपबंध कर सकता है।

8. अनुच्छेद 15(4) के अनुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के वर्गों एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है।

9. अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य को आदेशित किया गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म–स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

10. अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रुप में इसका आचरण निषिद्ध किया गया है।

11. अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है।

12. सेना व विद्या सम्बन्धी सम्मान उपाधियों के अतिरिक्त अन्य उपाधियों को समाप्त किया गया है।

13. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद–19 से 22 के मध्य वर्णित है।

14. अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान करता है।

15. अनुच्छेद 20– अपराधों के दोषसिद्धि के परिप्रेक्ष्य में संरक्षण प्रदान करता है।

16. अनुच्छेद 21 के द्वारा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है।

17. अनुच्छेद 22– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।

18. अनुच्छेद 19(2) से (6) तक उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को निर्बंधित किया जा सकता है।

19. अनुच्छेद 19(1)(क) भारत के नागरिकों को विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

20. अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा।

21. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है।

22. अनुच्छेद 23(1) द्वारा मानव के अवैध व्यापार, बेगार तथा अन्य बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया है।

23. अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संबंधित है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे का कारखाने, जान या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता।

24. अनुच्छेद– 21(क) – 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।

25. अनुच्छेद 25 व 28 में धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है।

26. अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म संप्रदाय व संगठनों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है।

27. अनुच्छेद–27 धर्म के नाम पर दान दिये गये धन का कर से छूट प्रदान करता है।

28. अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रबेंध करता है।

29. 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में पथ–निरपेक्ष राष्ट्र जोड़ा गया है।

30. अनुच्छेद– 29 व 30 में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार को वर्णित किया गया है।

31. अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।

32. अनुच्छेद 29(2) द्वारा किसी भी राजकीय (राज्य निधि से अवस्थापित अथवा पोषित) शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को उसकी भाषा, धर्म, जाति, वंश के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

33. अनुच्छेद 30(1) द्वारा किसी भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित व उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा।

मूल कर्त्तव्य :–

- मूल कर्त्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4क के अनुच्छेद 51क के रुप में जोड़ा गया।
- मूलतः मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 10 थी।
- 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वॉ कर्त्तव्य जोड़ा गया।
- भारतीय संविधान के भाग 4क के अनुच्छेद 51क में मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया।
- भारतीय नागरिकों के मूल कर्त्तव्य निम्नवत हैं:–
  1. संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर।
  2. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजाए रखें और उनका पालन करें।
  3. भारत की प्रभुता, एकता व अखण्डता की रक्षा व अक्षुण्णता बनाये रखना।
  4. देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा हेतु तैयार रहना।
  5. भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण तथा स्त्रियों का असम्मान करने वाली प्रथाओं का अन्त करना।
  6. सामाजिक–सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना व उसकी रक्षा।

7. पर्यावरण की रक्षा, संवर्धन व प्राणिमात्र के प्रति दया।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें।
11. 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता–पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद–32 को महत्वपूर्ण मानया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है।

- अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना गया है।

- डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के अनुसार– ''संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, जिसके बिना संपूर्ण संविधान ही अर्थविहीन हो जाएगा।

- अनुच्छेद 32 खंड (2) उच्चतम न्यायालय को भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या आदेश या रिट जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा व उत्प्रेषण शामिल हैं, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

- संविधान का यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है।

<u>नीति निदेशक तत्व</u> :–

- भारतीय संविधान के भाग–4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है।

- नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैण्ड के संविधान से ली गई है।

- नीति निदेशक तत्व राज्य के समक्ष कुछ आर्थिक व सामजिक लक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिनके आधार पर नीतियों का निर्माण कर भारत को कल्याणकारी राज्य के रुप में परिवर्तित किया जा सकता है।

- सर आइवर जेनिंग्स इसे फेबियन समाज की स्थापना करने वाला भाग मानते हैं।

- प्रो. के. टी. शाह ने नीति निदेशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया है, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।

- 2002 से पहले अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध राज्य का कर्त्तव्य था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे अनुच्छेद 21क में मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा अनुच्छेद 95 में नई व्यवस्था की गई।

- राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में उल्लेखित है।

- पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48क